न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R - 209 - II / 2011

रिवीजन क्रं0 सन् दिनांक

सीताराम तनय भगवानदास लुहार
निवासी पृथ्वीपुर जिला–टीकमगढ म.प्र.
.....आवेदक

बनाम

1– अंगूरी बेगम पत्नि गुलाम मुहम्मद
निवासी पृथ्वीपुर जिला–टीकमगढ म.प्र.

2– मध्य प्रदेश शासन
.....अनावेदक

आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर म0प्र0 द्वारा अपने न्यायालय से प्रकरण क्रं0 305/ए/6 X 06–07 में दिनांक 31.12.2010 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय जी,

उक्त उन्मान पुनरीक्षण मामले में आवेदक की प्रार्थना निम्न प्रकार है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं वाक्यात के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामले में हितबद्ध पक्षकारों के दोष को दूर करने हेतु स्पष्ट आदेश नहीं देकर कानूनी त्रुटि की है । उक्त मामले में विक्रेता को पक्षकार बनाकर उसका परीक्षण करने के आवेदनों पर विचार नहीं कर कानूनी भूल की गई है जिससे उक्त आदेश निरस्ती योग्य है ।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य ओरछा के निर्णय को बन्धनकारी मानने हेतु की गई प्रार्थना पर विचार नहीं कर कानूनी त्रुटि की गयी है जिससे उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4– यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विक्रेता द्वारा आवेदक की भूमि का नक्शा लगाकर की गई रजिस्ट्री के सम्बन्ध में उठाई गयी आपत्ति का निराकरण विधिवत करने हेतु की गई प्रार्थना पर विचार नहीं कर विधिक भूल की गई है जिससे भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

5– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर त्रुटि की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के विक्रेता को ओरछा राज्य के न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार भूमि विक्रय के अधिकार नहीं थे जिससे भी उक्त आदेश निरस्ती योग्य है ।

6– यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विक्रेता के सीमित स्वत्व पर गौर नहीं कर भारी कानूनी भूल की गई है तथा विक्रय प्रतिवंधित भूमि होने के बाद भी संक्षिप्त जांच का अधिकार बताकर कानूनी त्रुटि की जा रही है जिससे उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

7– यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं कर विधिक त्रुटि की जा रही है कि मान्नीय सिविल न्यायालयों द्वारा भी अनावेदिका को किये गये भूमि विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं । मान्नीय न्यायालय अपर प्रथम न्यायाधीश जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ के निर्णय एवं सकारण निष्कर्ष में विक्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की

.....2

12/2/15	आवेदक अधि. श्री एस. के. पाण्डे एवं अनावे. । अधि. श्री एन. के. पाण्डे उप. उभयपक्षों को ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधि. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.11 की फोटो प्रति पेश की गई है, जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने आलोच्य आदेश को परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित न किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो गई है। इसलिए परिस्थिति में यह निगरानी समाप्त की जाती है।

प्रशासक